न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :—313 / 2023—24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

हलन धान...आवेदक / विक्रेता } प्रथम पक्ष

बीपिन तोपनो वगैरह...क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार...द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
02.02.2024		

आदेश

आवेदक / आवेदिका श्री / श्रीमती हलन धान पिता / पति स्व0 सिरिल धान ग्राम—सरना टोली बिचना, थाना—मुरहू, जिला—खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:—

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
बिचना	262	50	1658	0.17

आवेदक / आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक / आवेदिका श्री / श्रीमती हलन धान पिता / पति स्व0 सिरिल धान ग्राम—सरना टोली बिचना, थाना—मुरहू, जिला—खूँटी को ऋण चुकाने एवं टीचर कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री / श्रीमती 1. बीपिन तोपनो वो 2. श्री / श्रीमती रोबर्ट तोपनो दोनों के पिता / पति कमिल तोपनो दोनों ग्राम—बिचना, थाना—मुरहू, जिला—खूँटी को बिक्री करना चाहते / चाहती है।

आवेदक / आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान तथा लगान की रसीद सं0 0326572169 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की बिक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 27 दिनांक 20.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक / आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम मसीहदास मुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के परपोता हैं। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 93 पर जमाबंदी दर्ज है।

(4)

आवेदक/आवेदिका के लिखित अभिकथन का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी है एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य है। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को अपना ऋण चुकाने एवं निजी कार्य हेतु राशि हेतु बिक्री करना चाहते है।

अंचल अधिकारी, मुरहू के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 607 दिनांक 13.09.2023 के साथ अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0- JHCST/2022/216962 दिनांक 16.06.2022 को JHCST/2023/39444 दिनांक 13.02.2023 एवं आवासीय प्रमाण पत्र सं0- JHRCO/2022/313537 दिनांक 17.06.2022 को अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं0 JHCC/2022/353902 दिनांक 08.09.2022 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 27 दिनांक 20.01.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती हलन धान पिता/पति स्व0 सिरिल धान ग्राम–सरना टोली विचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती 1. वीपिन तोपनो वो 2. श्री/श्रीमती रोबर्ट तोपनो दोनों के पिता/पति कमिल तोपनो दोनों ग्राम–विचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी के साथ ग्राम विचना के खाता सं0 50, खेसरा संख्या 1658, कुल रकबा 0.17 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by Emart
Date: 2024.04.02 12:23:13 +05:30
Location: 192.168.1.104